प्रारूप–2

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग –1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरणः–

क)	उपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड में चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग से गोरूण तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 2.50 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.5225 हे0 आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
ख)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के बनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	:– संलग्न है।
ग)	परियोजना की लागत	:– 20.51 लाख
घ)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	:– औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न
ड.)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	:– 5.00 हे0 से कम होने पर लागू नहीं हो रहे है।
च)	रोजगार जिनके पैदा होने की सभावना है।	:–
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार भूमि का विवरण	:– मार्ग निर्माण में 0.8925 हे0 आरक्षित वन भूमि,सिविल स्वयं 0.6300 व नाप भूमि 0.6125 हे0 प्रयोग की जायेगी।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	:– उक्त निर्माण कार्य से कोई परिवार प्रभावित नहीं होगा
क)	परिवारों की संख्या	:– नहीं है।
ख)	अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	:– नहीं है।
ग)	पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	:– नहीं है।
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)	:– हाँ
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः पलीकीएर की पचनवद्धता (बचनवद्धता संलग्न की जाये)	:– संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का ब्यौरो।	:– संलग्न है।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

... का ब्यौरा।

पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।

दिनांक ....

स्थान उत्तरकाशी।

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

नाम ....

अधिशासी अभियन्ता
निर्माणखण्ड, लो०नि०वि०
चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

मोहर ....

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी
द्वारा भरा जायेगा)